राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 148 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—19.07.2024

GCMS ID—2024 / 228

उनवान

1. रामनाथ पिता बलदेव जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. बरधीलाल पिता रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मन्नी बाई पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोंला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। मृतका कायम मुकाम :—

3/1. उर्मिला देवी पुत्री रंगलाल जाति मीणा निवासी बीड का झौपडा (गोरधनपुरा)

3/2. कमलेश कुमार पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी बीड का झौपडा (गोरधनपुरा)

3/3. परमेश्वर मीणा पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी बीड का झौपडा (गोरधनपुरा)

4. रामराज पिता रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. शोराज पिता रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। मृतक कायम मुकाम :—

5/1. गंगा पत्नी शोराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

5/2. मनोज पुत्र शोराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

5/3. सुनिता पुत्री शोराज जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

6. हमला बाई पिता रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बाण्डा मजरा चावण्डिया मीणो का पोस्ट काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

—: आदेश :— दिनांक : 25.08.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम मीणो का चावण्डिया पटवार मण्डल काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 1864, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1873 कुल किता कुल रकबा 2.3471 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी प्रार्थी के पडोस में अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के ग्राम चावण्डियों मीणो का जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 10 के अनुसार खसरा संख्या 1865, 1875, 1876, 1881, 1882, 1885, 1895, 1896 कुल किता 8 कुल रकबा 2.5415 हैक्टेयर, खातेदारी में स्थित है, साथ ही भूमि खसरा संख्या 1874 व 1884 भी स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी भूमि है। प्रार्थी के खेतों पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी हमेशा से ही अपने खेत से खसरा संख्या 1881 व 1882 व सरकारी भूमि 1884 व 1874 पर होते हुए रास्ते तक आता जाता है परन्तु वर्तमान में अप्रार्थीगण बाधा डालने लग गये है जिसके कारण विवाद होने की स्थिति पैदा हो गयी है। प्रार्थी के खेतो पर आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है इसलिए प्रार्थी को खसरा संख्या 1874, 1884, 1882 व 1881 में होते हुए रास्ते तक 12 फुट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी उक्त रास्ते से होकर आ जा सके, ट्रेक्टर ट्रोल ले जा सके। फसल ला ले जा सके। प्रार्थी ने कई बार राजस्व अधिकारियों से उक्त रास्ता कायम करने के लिए कहा लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा न्यायालय से आदेश लाने के लिए निर्देशित किया। अंतिम बार प्रार्थी ने दिनांक 28.06.2024 को अप्रार्थीगण से रास्ता देने के लिए कहा लेकिन अप्रार्थीगण इंकार हो गये, अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। रास्ते के उपयोग में जो भी सरकारी भूमि खसरा संख्या 1874, 1884 एवं अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 1881 व 1882 की जो भी भूमि रास्ते के उपयोग में जायेगी उसको जो भी उसका निर्धारित शुल्क है वह प्रार्थी अदा करने को तैयार है। भूमियॉ ग्राम चावण्डिया मीणों का तहसील हिण्डोली पटवार स्थल काछौला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, अतः श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित स्थान पर होते हुए प्रार्थी के खेत में रास्ते तक खसरा संख्या 1874, 1884, 1881, 1882 में 12 फुट चौडा रास्ता दिलाये जाने की व रिकॉर्ड में रास्ता दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान करे व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अमल करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01, 02, 3/1 से 3/3, 04, 5/1 से 5/3 व 6 बावजूद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

शामिलो के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं0 7 सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/862 दिनांक :–23.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1873 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम चावण्डिया मीणों का पटवार मण्डल काछोला में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 1881, 1882, 1896 जो कि अप्रार्थीगण 01, 02, 3/1 से 3/3, 04, 5/1 से 5/3 व 6 की सहखातेदारी में है व ख0सं0 1874, 1884 राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1881, 1882, 1896 खातेदारी भूमि व खसरा सं0 1874, 1884 सिवायचक भूमि में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 1973 वाके ग्राम चावण्डिया मीणों का पटवार मण्डल काछोला में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चावण्डियों मीणों का के खसरा 1881, 1882, 1896 (अप्रार्थी सं0 01, 02, 3/1 से 3/3, 04, 5/1 से 5/3 व 6 की सह–खातेदारी) में से 12 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.0780 हैक्टेयर भूमि व भूमि खसरा सं0 1874, 1884 (राजकीय सिवायचक) में से 12 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.0412 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा 1881, 1882, 1896 (अप्रार्थी सं0 01, 02, 3/1 से 3/3,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

4, 5/1 से 5/3 व 6 की सह–खातेदारी) की डीएलसी राशि 660000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0780 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 51480/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 102960/रू– का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को करने/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने व भूमि खसरा सं0 1874, 1884 (राजकीय सिवायचक) की डीएलसी राशि 660000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0412 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 27192/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 54384/रू का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मद में राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446